

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: १/शा०/१५१/२०१५-१/४८७/२०१५ लखनऊ: दिनांक २० मार्च, २०१५

विषय: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में अनुदान संख्या-८१ आयोजनागत मद में प्राविधिक धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि कमशः रु०-५६.८५ लाख व रु०-१८.९५ लाख इस प्रकार कुल रु०-७५.८० लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सविव, पंचायती राज अनुभाग-३, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-२०१५/६९/३३-३-२०१५-१००(२०)/२०१४ दिनांक १९.०३.२०१५ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में अनुदान संख्या-८१ आयोजनागत मद में अनुपूरक मॉगो के माध्यम से हुई बजट व्यवस्था की धनराशि रु०-४६७.०२ लाख के सापेक्ष केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में कमशः रु०-५६.८५ लाख व रु०-१८.९५ लाख इस प्रकार कुल रु०-७५.८० लाख (रूपया पचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

१- आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-१-२४५७/दस-२०१४-२३१/२०१४ दिनांक २२ जुलाई, २०१४ में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

२- उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

३- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य रथायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

४- प्रश्नगत धनराशि टी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०टी० लाभार्थीयों हेतु एस०टी०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

५- इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

६- भारत सरकार द्वारा निर्गत रवच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सैनीटेशन मिशन (एस०एस०एम०) के नाम से खोले गये खाता संख्या-५२१३०२०१०६००३४ आईएफ०एस०सी० कोड यू०बी०आई०एन०-०५५२१३५ में जमा किया जायेगा।

७- भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

8— उक्त धनराशि का व्यय एस०री०एरा०पी०/टी०.एस०पी० के लिए योजना आयोग भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु रागय-रागय पर निर्गत मार्ग-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

9— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-02-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-0201-स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायगा।

10— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008- मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

11— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०-४ पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

14— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-१० पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

३०/२८.३.१५

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:१/शा०/ /१/२०१५ उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001.
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-२, उ०प्र० शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— उप निदेशक(पं०) एवं जिला पंचायती राज अधिकारी(मु०), पंचायती राज निदेशालय उ०प्र०।
- 8— एस०पी०एम०य०२० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-20/03/2015

प्रेषण संख्या:- 1-sha-151-2015-487-2015
 आवंटन आदेश संख्या:- 002-487-2015
 अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
 लेखाधीषक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)
 796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना
 02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
 01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान -समान्य (गैर वेतन)	20-सहायता अनुदान -समान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर शेवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	7580000 16636000	7580000 16636000
	योग	वर्तमान प्रगामी	7580000 16636000	7580000 16636000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया पचहत्तर लाख अस्सी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया एक करोड़ छियासठ लाख छत्तीस हजार

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधीकारी

प्रेषक,

विमल चन्द्र श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
30प्र०, लखनऊ।
पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च 2015

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि क्रमशः रु० 56.850 लाख व राज्यांश रु० 18.950 लाख इस प्रकार कुल रु० 75.8 लाख अवमुक्त करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या- 5/481/2015-5/53/2014, दिनांक 28 फरवरी, 2015 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश दुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 81 में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु० 509.52 लाख के सापेक्ष रु० 75.80 लाख (रु० पचहत्तर लाख अस्सी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरण: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों /नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र० बजट मैनुअल और फाइनैनशिल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) प्रश्नगत धनराशि टी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०टी० लाभार्थियों हेतु एस०टी०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5) इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण /सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

(6) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में 30प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन (एस०एस०एम०) के नाम से खोले गये खाता संख्या- 52B02010060034 आई०एफ०एस०सी० कोड यू बी आई एन 0552135 में जमा किया जायेगा।

(7) भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

(8) उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी० /टी०एस०पी० के लिए योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) उक्त मर्दों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 81 के अन्तर्गत केन्द्रीय ₹ 0 56.850 लाख एवं राज्यांश ₹ 0 18.950 लाख, कुल ₹ 0 75.80 लाख की धनराशि लेखाशीर्षक- 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-02-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) - 0201- स्वच्छ शौचालय निर्माण (जिला योजना) (के०७५/रा.२५/के-रा.)-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय नितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- शीए-५३४/दस-२००८-ग्री-१/२००७ दिनांक ०२.०९.२००८ का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) नियन्त्रित पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र वी०एम०-१३ पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(12) उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

2- यह ओदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- वी-१-२४५७/दस-२०१४-२३१/२०१४, दिनांक २२ जुलाई, २०१४ में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विमल चन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महलेखाकार(लेखा एवं हुक्कारी) ३०प्र० इलाहाबाद।
 - 2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
 - 3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी ३०प्र०।
 - 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
 - 6- एन०आई०सी० की प्रति।
 - 7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-३/वित्त(बजट) अनुभाग-२
 - 8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
 - 9- गाई काइल।

आज्ञा से,

(एस०पी० सिंह)
अनु सचिव।